

सीडब्ल्यूपी-20806-2022 2023:पीएचएचसी:158352 1
चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

(268) सीडब्ल्यूपी-20806-2022

निर्णय की तिथि: 11 दिसंबर, 2023

अमरीक सिंह और अन्य .. याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य .. प्रतिवादी

कोरम: माननीय श्रीमान. जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी
उपस्थित:

श्री राघव अग्निहोत्री, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री आर. कार्तिकेय, अधिवक्ता।

श्री अनिल चावला, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

श्री तपन कुमार यादव, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

हरसिमरन सिंह सेठी जे. (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना अन्य जिलों के आयुष्मान मित्रों के समान मानदेय/पारिश्रमिक देने की है।

2. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि इसी मुद्दे पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2022 के सीडब्ल्यूपी संख्या 25134 में सूरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के रूप में आदेश पारित करते समय पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, जिसका निर्णय 23.11 को हुआ था। 2022 और उसके बाद सूरज के मामले (सुप्रा) में फैसले पर भरोसा करते हुए, एक अन्य समन्वय पीठ ने 2023 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3326 में मनीषा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के रूप में 24.04.2023 को एक आदेश पारित किया और उक्त याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानून का प्रश्न पहले ही तय हो चुका है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील उक्त तथ्यात्मक पहलू पर विवाद करने में सक्षम नहीं हैं।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सूरज के मामले (सुप्रा) में पारित आदेश के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका भी खारिज की जाती है।

11 दिसंबर 2023

हर्ष

(हरसिमरन सिंह सेठी)

जज

क्या बोल रहे हैं/तर्क कर रहे हैं: हाँ/नहीं

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ/नहीं